डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Office : Mohaan Road, Lucknow - 226 017, Website : http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक : 1859 /पत्रा.COE-31(II)/DSMNRU/परीक्षा समिति/2024–25 दिनांक: 31 दिसम्बर, 2024

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
2. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, विश्वविद्यालय।
3. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।
6. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।
7. प्राचार्य, कल्याणं करोति मथुरा।

विषय : डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ परीक्षा समिति की 17वीं बैठक के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–सी.ओ.ई.–479, दिनाँक 17.12.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आयोजित 17वीं बैठक दिनाँक 19.12.2024 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 19.12.2024 का
कार्यवृत्त

समय :	अपराह्न 12:30 बजे
स्थान :	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/17	**परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।**
	निर्णय : परीक्षा समिति द्वारा 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/17	**परीक्षा समिति की 16वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक में बिन्दुवार लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही के विचारोपरांत निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए :– **बिन्दु संख्या–06/16 – विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र/बैच–2022–23 एवं 2023–2024 के लिये सम्बद्ध नवीन स्वैच्छिक संस्थाओ/स्वैच्छिक संस्था में विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु माह जुलाई, 2024 में निर्गत सम्बद्धता आदेश के क्रम में परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः– उपरोक्त प्रकरण के संबंध में परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि कार्यालय–ज्ञाप पत्रांक COE-456, दिनाँक 27.12.2024 एवं कार्यालय–ज्ञाप पत्रांक COE-457, दिनाँक 27.12.2024 के माध्यम से अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें बी0एड0 विशेष शिक्षा (एच0आई0/वी0आई0) पाठ्क्रम की 2022–23 बैच एवं 2023–24 बैच के प्रथम एवं द्वितीय अधिसत्र की परीक्षा, 2022–23 बैच की एम0फिल0 के प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा तथा 2023–24 बैच की पी0जी0डी0आर0पी0 पाठ्यक्रम की वार्षिकी परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर, 2024–जनवरी, 2025 में किया जा रहा है। तद्नुसार बी0एड0 विशेष शिक्षा (एच0आई0/वी0आई0) बैच–2022–23 की शेष परीक्षाएं प्रथम एवं द्वितीय अधिसत्र की परीक्षाओं एवं एम0फिल0 पाठ्यक्रम की शेष परीक्षाएं प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत समस्त औपचारिकताओं के अधीन आयोजित किये जाने तथा बी0एड0 विशेष शिक्षा (एच0आई0/ वी0आई0) 2023–24 बैच की शेष परीक्षाओं हेतु सत्र को नियमित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
3/17	**आंतरिक परीक्षा के अन्तर्गत मिड सेमेस्टर टेस्ट को विषम अधिसत्र परीक्षा (दिसम्बर, 2024 के अन्तर्गत) माह जनवरी, 2025 के साथ आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए निर्णय लिया गया कि "विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों की माह दिसम्बर, 2024 में होने वाली मिड सेमेस्टर टेस्ट परीक्षा माह जनवरी, 2025 में आयोजित होने वाली विषम अधिसत्र परीक्षा (दिसम्बर, 2024 के अन्तर्गत) माह जनवरी, 2025 के साथ सम्पन्न करायी जायेगी। सम्पूर्ण प्रश्न–पत्र दो भागों में विभाजित होगा, प्रश्न–पत्र का प्रथम भाग अधिसत्र परीक्षा से सम्बन्धित 03 घण्टे का होगा, जिसके साथ ही प्रश्न–पत्र का द्वितीय भाग मिड सेमेस्टर टेस्ट से सम्बन्धित 30 मिनट का होगा, जिसमें गैर एन0ई0पी0 20 अंकों एवं एन0ई0पी0 हेतु 15 अंकों अथवा जिसपर जो प्रभावी हो, के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर मिड सेमेस्टर टेस्ट परीक्षा विभागीय सम्बन्धित शिक्षक के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार विषम अधिसत्र परीक्षा एवं मिड सेमेस्टर परीक्षा हेतु कुल परीक्षा अवधि 03 घण्टे 30 मिनट की होगी, जिसमें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु नियमानुसार अतिरिक्त समय दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उपरोक्त के साथ मिड सेमेस्टर टेस्ट परीक्षा को क्लास टेस्ट के नाम से आयोजित किया जायेगा तथा एसाइनमेण्ट/प्रेजेण्टेशन का मोड ओपेन रहेगा, जिसमें वायवॉ अथवा प्रेजेण्टेशन अथवा अधिन्याश के माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं। एम0एस0डब्ल्यू0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड वर्क डायरी के अन्तर्गत दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आडियों डायरी तैयार किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त आगामी विषम अधिसत्र की परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्र निर्माण के

(परीक्षा नियंत्रक)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	साथ ही आंतरिक परीक्षाओं के लिये सूचना जारी की जानी है कि जिसमें प्रश्न–पत्र में सेक्शन–डी (खण्ड–द) बनाया जाना है, जिसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो 1.5/02 अंकों के होंगे अथवा जिस पर जो प्रभावी हो, के अनुसार अंक निर्धारित होंगे। जो आंतरिक परीक्षाएं जो चुकी हैं उन्हें दोबारा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होंगी।
4/17	**विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन, 2020 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन, 2020 में ग्रेडिंग सिस्टम में निम्नानुसार संशोधन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

15.19 Grading

a) A student obtaining grades 'P' to 'O' (numeric grade 4 or higher)in any course shall be considered PASS in that course.

b) For non-credit courses, P or F will indicate Pass or Fail.

c) If a course of any subject (both theory and practical) is a credit course, then the passing percentage for each course is set at 40 percent. There is no minimum passing percentage for internal evaluation.Even if a student scores zero marks in internal evaluation and meets the minimum passing criteria in semester examinations they will be considered as pass.

d) A student shall be eligible for a maximum of seven grace marks in only one course provided he/she is able to pass the semester with the help of this grace marks.

For the ease of computation, the assessment/evaluation of each course will be out of 100 marks (25 for internal assessment and 75 for end of semester examination) irrespective of number of credits allotted to the course.

Table: 5 The marks shall be converted into grades as per the following criteria

Marks secured (out of 100)	Letter Grade	Descriptions	Grade Point
≥ 90	O	Outstanding	10
≥ 80 < 90	A+	Excellent	9
≥ 70 < 80	A	Very good	8
≥ 60 < 70	B+	Good	7
≥ 50 < 60	B	Above average	6
≥ 45 < 50	C	Average	5
≥ 40 < 45	P	Pass	4
< 40	F	Fail	0
	Ab	Absent	0

When students take audit courses, they may be given pass (P) or fail (F) grade without any points and SGPA and CCPA, the University may issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

Note: Students who have already enrolled and are pursuing UG Programme as per Choice Based Credit System (CBCS) are eligible to pursue 4-year undergraduate Programme and the university may provide bridge courses (including online courses) to enable them for transition to CCFUGP.

17. Award of Division

Table: 6 Division shall be awarded to the students as per the following table:

CGPA RANGE	Division
≥ 7.5	First Division with distinction
≥ 6 < 7.5	First Division
≥ 4.5 < 6	Second Division
≥ 4 < 4.5	Third Division

Note: The conversion formula for converting CGPA to the corresponding Percentage(P) of Marks will be as follows:
Percentage of Marks = CGPA x 10.0
The merit rank of the students shall be determined on the basis of the CGPA obtained by them. However, only those students who have passed all courses in the first attempt without grace marks, shall be eligible for the award of medals.

उपरोक्तानुसार टेबल नं0–5 में उल्लिखित व्यवस्था सत्र–2024–25 से नव प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावी होगी तथा टेबल नं0–6 समस्त अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर प्रभावी किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

5/17	**विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए निर्णय लिया गया कि जहाँ अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति को पूर्ण कराया जा सकता है उन पाठ्यक्रमों में उन्हीं विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करते हुए उपस्थिति पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या—1.2, 1.4 एवं 1.5 के संबंध में अधिष्ठातागण की समिति गठित करते हुए समस्त प्रकरण समिति को निर्णय हेतु प्रेषित किये जाने तथा यह समिति अठिष्ठाता (शैक्षणिक) को अपनी रिपोर्ट संस्तुति सहित उपलब्ध करायेगी तथा अधिष्ठाता (शैक्षणिक) स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या कुलपति महोदय को निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त जो विद्यार्थी बिना किसी सूचना के 03 दिन से अधिक कक्षाओं से अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अभिभावको (माता/पिता) को सूचना प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
6/17	**विश्वविद्यालय के छात्रों को निर्गत किये जाने वाले प्रोविजिनल सर्टिफिकेट की पत्रावली व्यवहरण के सम्बन्ध में**
	निर्णय :— परीक्षा समिति उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय—ज्ञाप पत्रांक—1180, दिनाँक 25 सितम्बर, 2024 में वर्णित व्यवस्थानुसार अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
7/17	**विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की चिकित्सीय कारणवश छूटी हुई सम अधिसत्र की परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के व्यवहरण में निर्णय प्रक्रियाधीन होने से सम्बन्धित 02 विद्यार्थी, बैक पेपर परीक्षा के निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होने के कारण उक्त बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग करने से वंचित रह गये। इस प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की माह दिसम्बर, 2024 हेतु निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उक्त संबंधित 02 विद्यार्थियों के साथ—साथ इसी प्रकार समान प्रकृति के और भी प्रकरण लम्बित हो तो उन्हें भी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए बैक पेपर परीक्षाएं विभागीय स्तर पर आयोजित कराते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त प्रकरण को भविष्य में दृष्टान्त न बनाया जाय।
8/17	**विश्वविद्यालय में परास्नातक स्तरीय परीक्षाएं विभागीय स्तर पर सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार—विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय में विषम अधिसत्र परीक्षा (दिसम्बर, 2024 के अन्तर्गत) माह जनवरी, 2025 से समस्त परास्नातक स्तरीय परीक्षाएं विभागीय स्तर पर सम्पन्न कराये जाने एवं उक्त परीक्षाओं हेतु परीक्षा समय—सारिणी के लिये परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा मात्र अवधि निर्धारित की जायेगी, जिसके उपरांत समस्त विभागों द्वारा परास्नातक स्तरीय परीक्षाओं हेतु परीक्षा समय—सारिणी विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता के स्तर से हस्ताक्षरित कर निर्गत करते हुए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय एवं अधिष्ठाता (शैक्षणिक) को उपलब्ध कराते हुए विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करायेंगे। समस्त अधिसत्र (सम/विषम) परीक्षा हेतु संबंधित प्रश्न—पत्र समस्त विषयाध्यापको से विभागाध्यक्षों की देख—रेख में निर्मित कराकर संकलित करते हुए अपने पास स्वयं संरक्षित रखने तथा परीक्षा के उपरांत प्रश्न—पत्र की एक प्रति परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने तथा आवश्यकतानुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में भी आयोजित होने वाली परास्तनातक स्तरीय परीक्षाओं हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को ससमय प्रश्न—पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त विभागीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा के सम्पन्न होने के उपरान्त विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप पत्रांक COE-481, दिनांक 17.12.2024 के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं को सम्बन्धित विद्यार्थियों को दिखाने के उपरांत अंकों को ऑन—लाइन ई0आर0पी0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए उत्तर पुस्तिकाएं एवं हस्ताक्षरित अवार्डशीट परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को निर्धारित समयावधि (अधिकतम तीन दिवस में) के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

9/17	**अन्य बिन्दु** **1. प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि परास्नातक स्तरीय प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाओं हेतु वाह्य परीक्षक आमंत्रित किये जायेंगे तथा स्नातक स्तरीय परीक्षाओं हेतु जहाँ उनके नियामक निकाय यथा आर0सी0आई0/बी0सी0आई0 आदि द्वारा प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा हेतु वाह्य परीक्षकों की अनिवार्यता है उन्हें छोड़कर शेष के लिये प्रायोगिक परीक्षक विश्वविद्यालय से ही नामित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त वाह्य परीक्षाकों को वायुयान से यात्रा अनुमन्य नहीं होगी, परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय आने–जाने हेतु टैक्सी के स्थान पर अपने निजी वाहन के प्रयोग करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार अनुमन्य दर के अनुसार भुगतान की कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्णय सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं पर आयोजित होने वाली प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
	2. विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 के बिन्दु संख्या–3.9 के अन्तर्गत पैरा–4 में विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अधीन लिखित परीक्षा में 75 अंकों वाले प्रश्न–पत्रों में खण्ड–अ, खण्ड–ब एवं खण्ड–स में अधिकतम शब्द सीमा में संशोधन के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्धारित शब्द सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए प्रश्नों के अंकों के निर्धारण करने एवं उत्तर पुस्तिकओं में प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार उचित शब्द सीमा में लिखे गये उत्तर पर अंक प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
	3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं की अनुमोदित फैकल्टी में से ही अधिकृत प्राचार्य/समन्वयक को विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं की अनुमोदित फैकल्टी में से ही अधिकृत प्राचार्य/समन्वयक को तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी नामित होने वाले सदस्यों को विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में चक्रानुक्रम में 02 वर्षों के लिये नामित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	4. विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के सहयोगार्थ विशेष कार्याधिकारी, मूल्यांकन नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में होने वाले कार्यों के संचालन में सुगमता लाने के लिये परीक्षा नियंत्रक के सहयोगार्थ किसी एक शिक्षक को विशेष कार्याधिकारी, मूल्यांकन (ओ0एस0डी0 मूल्यांकन) नामित कराने हेतु विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति को परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत किया गया।
	5. विश्वविद्यालय में परीक्षाओं हेतु वाह्य विशेषज्ञ/परीक्षक नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के साथ–साथ अन्य पाठ्यक्रमों हेतु जहाँ वाह्य विशेषज्ञ/परीक्षक नामित किये जाने की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में परीक्षक नामित किए जाने हेतु विभागाध्यक्ष/शोध पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तावित नामों से इतर अपने स्तर से भी विषय से सम्बन्धित किन्हीं लब्धप्रतिष्ठ विशेषज्ञों/परीक्षकों को शोध प्रबन्ध मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी हेतु नामित किये जाने पर विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति को अधिकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
	उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु न होने के कारण उपरोक्तानुसार बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।